

राजस्थान सरकार
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग

क्रमांक: क्षेत्र प्रचार/2020/ 8299-8367

जयपुर, दिनांक: 07/07/2020

जिला कलक्टर (समस्त)
राजस्थान।

समस्त प्रभारी
जिला सूचना एवं जनसम्पर्क कार्यालय

विषय:- कोरोना महामारी से बचाव हेतु प्रदेश में चलाए जा रहे विशेष जागरुकता अभियान की गतिविधियों को निरंतर जारी रखने के क्रम में।


सन्दर्भ:-विभाग के आदेश क्रमांक क्षेत्र प्रचार/2020/6839-75 दिनांक 17 जून 2020 एवं आदेश क्रमांक क्षेत्र प्रचार/2020/7771-7841 दिनांक 29 जून 2020 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है, कोरोना महामारी का खतरा अभी बरकरार है। इसलिए लोगों को कोरोना महामारी से बचाव के लिए जागरुक करने के लिए चलाई जा रही विशेष जागरुकता अभियान की गतिविधियों को विशेष अभियान अवधि (21 जून-7 जुलाई 2020) के बाद भी निरंतर जारी रखने के लिए आपको निर्देशित किया जाता है।

कोरोना से बचाव में जागरुकता के महत्व तथा इस अभियान की अब तक की सफलता को दृष्टिगत रखते हुए आप अपने जिले में स्थित शहर, कस्बे, गांव, ढाणी, मोहल्लों में कोरोना के संक्रमण से बचाव के लिए जागरुकता गतिविधियों को निरंतर जारी रखें। लोगों को मास्क लगाने, नियमित अन्तराल पर हाथ धोने, दो गज की दूरी बनाये रखने एवं सार्वजनिक स्थानों पर नहीं थूकने, भीड़ या समारोह से बचने तथा यथा जरूरत जांच कराने के संबंध में जागरुक करें। साथ ही जागरुकता के लिए स्थानीय भाषा एवं कला के माध्यम से अपने जिले में कोरोना जागरुकता से संबंधित गतिविधियों को भी जारी रखें।

सभी आयोजनों के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना से बचाव के नियमों की पूर्ण पालना करें। इन गतिविधियों की रिपोर्ट मुख्यालय को प्रति सप्ताह आवश्यक रूप से प्रेषित करें।

इस कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दें।


आयुक्त

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, सूजस।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सूजस।


आयुक्त